डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/म.प्र./ मन्दसौर/122/ 2024- 26
ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 19 | अंक 143 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | शनिवार 08 मार्च 2025 | मूल्य 2 रुपया

सर्व सुविधायुक्त फार्महाऊस के नाम पर खेल..?

नियमों को ताक पर रखकर भू माफिया शासन को लगा रहे लाखों का चूना

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। पया वारा लोगो के लिये ऐश मौज के लिये इन दिनों फार्म हाउस का चलन तेजी से बढा है। भू माफिया फोरलेन या शहर के आस-पास की पंचायत क्षेत्र में औने-पौने दामों पर जमीन लेकर यहां नियमों को ताक पर रखकर छोटे-छोटे कॉटेज बनाकर इन्हें फार्महाउस का नाम देकर विक्रय कर लाखों-करोडों रूपए के वारे-न्यारे कर रहे है। लेकिन, शासन को राजस्व के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। अधिकारी भी इस पर कार्रवाई करने में गंभीर नही है। जबकि, रतलाम प्रशासन द्वारा इस तरह के फार्म हाउस पर की गई कार्रवाई संभाग में एक बडा उदाहरण है। बता दें की कोटेज के नाम पर अनुमति लेकर फार्म हॉउस बताकर आमजन को बेचे जा रहे हैं। मामले में टीएनसीपी और प्रशासन ने भी आंखे मुंद रखी है।

नियमानुसार कृषि भूमि पर निर्धारित एरिया में एक फार्म हाउस बनाया जा सकता है। लेकिन,, जमीन कारोबारी तीन आरी के फार्म हाउस एक से ज्यादा मात्रा में काटकर बैच रहे है, और शासन को मिलने वाले राजस्व की चोरी करने के लिए कृषि भूमि पर फार्महाउस की संज्ञा दे रहे है। जबकि, ये सीधे-सीधे व्यापार है। क्योंकि, भूमाफिया कृषि भूमि के एक नहीं कई सारे लगभग टुकडे करके बेच रहे है। ये सीधे-सीधे अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है। रतलाम में इसी आधार पर कार्रवाई हो चुकी है।

चल रहा हैं गली निकालकर खेल–जमीन चाहे मास्टर प्लॉन से बाहर हो या अन्दर नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय (टीएनसीपी) से अनुमति दोनों कंडीशन में जरूरी है। भूमाफिया यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि मास्टर प्लान से बाहर है तो टीएनसीपी की जरूरत नहीं है। इसमें रेरा के नाम से भी इन्वेस्टरों को खूब गुमराह किया जा रहा है।

यह है फॉर्म हाउस की अनुमति के मापदण्ड–❊ कृषि उपयोग की भूमि पर फॉर्म हाउस बनाया जा सकता है। इसमें प्लॉट की साइज कम से कम 0.40 हैक्टेयर यानि 2 बीघा होना चाहिए। ❊ निर्माण एरिया प्लॉट का 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ❊ स्ट्रक्चर की अधिकतम हाईट 7.5 मीटर होना चाहिए। ❊ 100 जिंदा चलित पौधे होना अनिवार्य है। ❊ करीब 25 स्क्वेयर फिट (7.5 मीटर्स) रोड से जुडा होना चाहिए। ❊ फॉर्म हाउस का एमओएस 7.5 मीटर्स चारों और से खुला होना चाहिए।

इसमें शासन को नुकसान कैसे...?–❊ विकास अनुमति नहीं लेने पर 10 प्रतिशत निर्माण की लागत का कर्मकार (लेबर वेलफेयर) लगता है जो जमीन कारोबारी नही दे रहे है। ❊ विकास अनुमति नहीं लेने से संबंधित पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद का 02 प्रतिशत शुल्क जो की सुपर विजन चार्जेस होता है, नहीं दिया जाता है। ये सीधे-सीधे शासन को राजस्व का नुकसान है।

आयकर विभाग को भी कर रहे गुमराह–जमीन कारोबारियों द्वारा आयकर विभाग को भी गुमराह किया जा रहा है। कृषि भूमि बताकर फॉर्म हाउस काटे जाते है। कागजो में इसे कॉटेज का नाम दिया जाता हैं। विक्रय को केपिटल गेन पूँजिगत लाभ बताकर फिर से अन्यत्र कृषि भूमि खरीद लेते है, और टैक्स की चोरी करते है। जबकि, ये व्यापार की श्रेणी में आता है। क्योंकि, एक से अधिक फॉर्म हाउस काटे जाते है। इन पर आयकर ज्यादा रेट से होता है।

रतलाम में प्रशासन कर चुका है कार्रवाई–जानकारी के अनुसार रतलाम में जमीन कारोबारी ने फॉर्म हाउस बनाकर लोगें को बैच दिए थे। लेकिन, कुछ वर्ष पूर्व प्रशासन ने इन फार्म हाउस के एप्रोच रोड को तोडकर निर्माणकर्ता पर भी प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंदसौर में भी हलचल तेज हो गई थी। लेकिन, प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण कारवाई का अभाव है।

देखना पड़ेगा–मैं फिलहाल बाहर हूं, फार्महाउस या कॉटेज को लेकर कितने लोगों ने अनुमति ली या नही ली। इस संबंध में देखकर ही बता सकूंगी। **विनिता दृश्यामंकर**
उपसंचालक, टीएनसीपी, मंदसौर–नीमच

जांच करवाकर कार्रवाई करेंग–मैं अभी कार्यक्रम में हूं। अगर ऐसा है तो इसकी जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। **शिवलाल शाक्य, एसडीएम, मंदसौर**

सीमेंट माफिया सक्रिय...

दलौदा में मिले नॉन ट्रेड सीमेंट के कट्टे..!

सरकार को जमकर लग रहा राजस्व का चूना, कारोबारियों को तगड़ा नुकसान

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। जिले भर में नॉन ट्रेड सीमेंट का गौरखधंधा जोरो पर है। निजी भवनों में इस सीमेंट का उपयोग हो रहा है। इससे सरकार को राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है। स्थानीय सीमेंट कारोबारियों को खासा नुकसान हो रहा है। कई बार कारोबारी जीएसटी विभाग के अधिकारियों से मिले थे। उन्होंने इस गौरखधंधे के बारे में अवगत भी कराया। लेकिन, विभाग के अधिकारियों का कहना था कि लिखीत में इसकी शिकायत करें। इसके बाद कमिश्नर अगर पॉवर देते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, इस बार भोपाल स्तर से कार्रवाई होने की जानकारी मिली है। दलौदा के ही एक सीमेंट व्यापारी ने तगड़ा जेक लगाकर दलौदा के बानीखेड़ी में कार्रवाई करवाई। जिसमें बड़ी मात्रा में मगरा क्षेत्र से नान ट्रेड सीमेंट के कट्टे मिले हैं। जाहिर सी बात है कि मगरे पर कोई कॉलोनी तो कट नहीं रही होगी। बताया जाता है कि बड़ी मात्रा में यहां बाहर का ठेकेदार नान ट्रेड सीमेंट का खेल कर रहा है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी।

जिले में नॉन ट्रेड सीमेंट बेचने का गोरख धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। इस धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल है। नॉन ट्रेड सीमेंट को निजी भवनों के निर्माण में लगवाया जा रहा है। जिससे सरकार को वैट व एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी ओर, ट्रेड सीमेंट बेचने वाले डीलरों का धंधा चौपट हो रहा है। इस तरह की टैक्स चोरी के मामले में जिम्मेदारों ने नॉन ट्रेड सप्लाई करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नॉन ट्रेड व ट्रेड सीमेंट की दर में कम से कम 60 से 100 रुपए प्रति बैग का अंतर रहता है। बड़ा मुनाफा कमाने के लिए कई संस्थाएं व ठेकेदार अपने लाइसेंस के नाम से सीमेंट मंगवाकर निर्माण कार्य में बेच देते हैं। जबकि, जिस नाम से बिल व बिल्टी बनती है। सीमेंट उसी के आधार पर उपयोग होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर की मिलीभगत से यह माल रास्ते में या अन्य स्थान पर खाली कर दिया जाता है। जिले में कई निजी निर्माण कार्य चल रहे हैं। इन स्थानों में करीब 20 फीसदी नॉन ट्रेड सीमेंट सप्लाई हो रहा है। सरकारी निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार कम रेट में सप्लाई कर रहे हैं। जिससे बाजार पर फर्क पड़ने लगा है। यहां तक की ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीणों को नॉन ट्रेड सीमेंट बेचा जा रहा है। जिले में सीमेंट के डीलरों का कहना है कि एक साल में पहले करीब 350 टन सीमेंट टर्नओवर कर लेते थे। लेकिन, जब से नॉन ट्रेड सीमेंट की सप्लाई होने लगी है, तब से 100 से 150 टन ही बिक पा रहा है।

पहली बार कार्रवाई...

पहली बार सीमेंट के व्यापार से जुड़े एक व्यापारी ने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई करवाई है। बताया जाता है कि भोपाल स्तर पर इसकी शिकायत की गई। इसके बाद संबंधित विभाग की टीम ने दलौदा के बानीखेड़ी क्षेत्र में आमद दी। यहां बताया जाता है कि एक ट्राला नॉट फार सेल सीमेंट का पकड़ा है। जिसमें 840 कट्टे सीमेंट के मिले हैं। मतलब कुल 42 टन सीमेंट मिली है। फिलहाल अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। लेकिन, बताया जाता है कि बाहर के ठेकेदार द्वारा यह सीमेंट मंगवाई जा रही थी। यह काम लंबे समय से चल रहा था। सीमेंट को अपने काम में लेने के साथ ही अन्य जगहों पर सप्लाय भी किया जा रहा था।

क्या है ट्रेड और नॉन ट्रेड सीमेंट...

सीमेंट कंपनियां दो तरह का ट्रेड व नॉन ट्रेड सीमेंट जारी करती है। ट्रेड सीमेंट आम उपभोक्ता को तथा नॉन ट्रेड सीमेंट सरकारी निर्माण कार्य, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े ठेकेदार या संस्था या कमर्शियल कार्य हेतु अथवा जिसका बड़ा प्रोजेक्ट हो उसको बेचा जाता है। वर्तमान में ट्रेड सीमेंट की कीमत लगभग 350 रुपए प्रति बैग है। बैग पर लिखी कीमत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेल टेक्स, भाडा तथा डीलर का कमीशन भी इसमें शामिल होने से यह महंगा है। वहीं नॉन ट्रेड में सीमेंट के लागत मूल्य पर एक्साइज व सेल टेक्स लगता है। माला भाड़ा तथा डीलर का कमीशन नहीं लगने से इसकी कीमत लगभग ढाई सौ रुपए या 260 रुपए प्रति बैग होती है। नॉन ट्रेड में सीमेंट के बैग पर नॉट फॉर रिटेल सेल लिखा होता है। जिसे बाजार या निजी निर्माण में नहीं बेचा जा सकता है, लेकिन, निजी निर्माण कार्य में सबसे ज्यादा नॉन ट्रेड सीमेंट उपयोग हो रही है।

सरकारी ठेकेदार भी कर रहे खेल...

लोनिवि सहित अन्य सरकारी विभागों में एक दर्जन से ज्यादा सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं। सरकारी निर्माण कार्य में ठेकेदार अपने नाम से नॉन ट्रेड सीमेंट फैक्टरी से मंगवाते हैं। यहां उन्हें डीलरों से कम रेट में मिलता है। लेकिन, ठेकेदार बदमाशी करके निजी निर्माण कार्य में लगाने के लिए बेच देते है। जिससे उन्हें बढा मुनाफा होता है। बल्कि फैक्टरी से मिलने वाले नॉन ट्रेड सीमेंट के बैग पर नॉट फोर रिटेल सेल का भी हवाला दिया रहता है। इसके बाद भी बेचने का काम जोरों पर चल रहा है।

कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी प्रकरण: 25 टन मादक पदार्थ मामले में फैसला आज...

सीबीएन ने 1650 पेज का किया था चालान पेश, चार साल तक प्रकरण में चली सुनवाई

❊ नीमच के इतिहास में 25 टन मादक पदार्थ जप्ति का पहला प्रकरण ❊ कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी ने नाबालिग बेटे की फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पैरोल लेकर समाजसेवी अशोक अरोरा पर कराया था जानलेवा हमला

नीमच, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। मालवा-मेवाड़ के बहुचर्चित कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी प्रकरण में आज 08 मार्च को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जितेंद्रकुमार बाजोलिया द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। पिछले चार वर्ष से इस प्रकरण में सुनवाई चल रही थी। तमाम सक्ष्यों और गवाहों सहित कई तकनीकी पहलुओं की जांच पड़ताल के बाद प्रकरण फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस बहुचर्चित प्रकरण में आने वाले फैसले पर आम ओ खास सभी निगाहें है। क्योंकि, नीमच के इतिहास में 25 टन मादक पदर्थ जब्ती का यह पहला मामला था और जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र में ही तस्करी का बड़ा रैकेट संचालित हो रहा था। जिसे सीबीएन ने नेस्तनाबूत किया था। बाद में सीबीएन ने 1650 पेज का चालान पेश किया था।

नीमच स्थित इंडस्ट्रीयल एरिए में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने 27 अगस्त को दबिश देकर मौके से तस्करी के आरोपी जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी पिता तोलाराम सिंधी सहित अन्य को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के इस गिरोह में मंडी... **शेष पेज 4 पर**

बेटे का फर्जी मेडिकल बनवाकर ली थी पैरोल, दिया था गोलीकांड को अंजाम...

तस्कर के आरोपी बाबू सिंधी को 19 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट इंदौर से एक महीने की पैरोल उसके बेटे को गंभीर बीमार होने पर मिली थी। बाद में हाईकोर्ट से 19 फरवरी 2024 तक पैरोल की अवधि बढाई थी। अवधि बढ़ाकर बाबू सिंधी ने शार्प शूटरों के साथ मिलकर 04 फरवरी 2024 को समाजसेवी अशोक अरोरा गंगानगर पर हमला कराया। हाईकोर्ट इंदौर में प्रस्तुत की गई मेडिकल रिपोर्ट की रतलाम के सविल सर्जन डॉ.एमएस सागर ने जांच की तो फर्जी निकली। इस पर डॉ. जीवन चौहान और डॉ. रवि दिवेकर को निलंबित कर दिया था। समाजसेवी अरोरा पर फायरिंग के मामले में भी बाबू सिंधी और उसके साथियों की जमानत नहीं हुई है।

विचार-मंथन

अभिव्यक्ति को लेकर सुको की टिप्पणी गंभीर

सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी निस्संदेह बहुत गंभीर है कि संविधान को लागू हुए पचहत्तर वर्ष हो गए, अब तो कम से कम पुलिस को अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ समझना चाहिए। हालांकि यह टिप्पणी कोई पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कई मौकों पर वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहसें हो चुकी हैं, अदालतें पुलिस को नसीहत दे चुकी हैं, मगर शायद उस पर संजीदगी से अमल की जरूरत नहीं समझी गई। इसी का नतीजा है कि अब भी जब तब ऐसे मामले अदालतों में पहुंच जाते हैं, जिनसे किसी की भावना के आहत होने का आरोप लगता है, जबकि वास्तव में उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे वह फिल्मों के दृश्यों-संवादों, किसी राजनेता के बयानों या साहित्य के किसी अंश को लेकर भावनाएं आहत करने या भड़काने के आरोप लगते रहे हों या किसी ऐतिहासिक-मिथकीय प्रसंग को लेकर की गई टिप्पणी पर। कई बार तो कुछ बातों को लेकर आंदोलन तक उभारने की कोशिशें देखी गई हैं। ताजा मामला कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी की एक कविता को लेकर उठा, जब उन्होंने गुजरात के एक विवाह समारोह में उसे सुनाया और फिर सोशल मीडिया पर उसका अंश डाल दिया। उन पर आरोप लगा कि कविता में लोगों में हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया है। वहां की पुलिस ने इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया। साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचार कई बार प्रतीकों और बिंबों में छिपे होते हैं, इसलिए उनके सही अर्थ खोलने में दिक्कत आ सकती है। प्रतापगढ़ी के मामले में गुजरात पुलिस को भी इसी के चलते धोखा हुआ होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट भी किया कि अनुवाद में गलती की वजह से यह भ्रम हुआ होगा। मगर आजकल जिस तरह चुनिंदा तरीके से किसी के बयानों से भावनाओं के आहत होने के आरोप कुछ अधिक लगने लगे हैं और उनमें से कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी कर दी जाती है, उससे संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति की आजादी का संकल्प ही धुंधला पड़ता नजर आने लगता है। जबकि कई बार स्थितियां इसके उलट भी देखी जाती हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, देशभक्ति, धर्म और आस्था के नाम पर कुछ लोग कुछ भी कहते-बोलते देखे जाने लगे हैं। धर्म संसदों और कई सार्वजनिक सभाओं में संतों और राजनेताओं के आपत्तिजनक बयान देखे-सुने गए, मगर उनमें पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण ही देखा गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस को कुछ तो संवेदनशीलता दिखानी होगी। हालांकि यह छिपी बात नहीं है कि पुलिस स्वायत्त तरीके से काम नहीं करती। अनेक कार्रवाइयां उसे सत्ता पक्ष के दबाव में करनी पड़ती हैं। इसलिए विपक्षी दलों के मामले में अगर अभिव्यक्ति की आजादी के कानून को हाशिये पर धकेल दिया या नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो हैरानी की बात नहीं। यह कम बड़ी विडंबना नहीं कि साहित्य और कलाओं में अभिव्यक्त विचारों की व्याख्या भी अदालतों को करनी पड़ रही है। सत्ताएं सदा से अपनी आलोचना से तल्ख हो जाती रही हैं, पर आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कौन करेगा। पहला कर्तव्य तो पुलिस का ही बनता है कि वह उसकी सही-सही व्याख्या करे और फिर कानूनी कार्रवाई के बारे में सोचे। पर राजनीतिक उदारता के बगैर यह संभव नहीं जान पड़ता।

क्या है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया?

संजय कुमार

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान 2002 में संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन 2026 तक के लिए टाल दिया गया था। परिसीमन को लेकर कई दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है कि उनकी सीटें उत्तर भारत के मुकाबले कम अनुपात में बढ़ सकती हैं। इसमें तमिलनाडु और केरल के जैसे राज्य शामिल थे। इसी के चलते गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते दक्षिण के राज्यों को विश्वास दिलाया था कि नए परिसीमन में उन्हें एक भी सीट का नुकसान नहीं होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, प्राथमिक तौर पर निष्पक्ष तौर प्रतिनिधियो को निकायों में नागरिकों के प्रतिनिधित्व के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को लेटेस्ट जनसंख्या के अनुसार तय किया जाता है। इससे ही यह तय होता है कि एक सांसद या विधायक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले लोगों की संख्या पूरे भारत में लगभग समान ही हो। परिसमीन, अनुच्छेद 81 के तहत 'एक नागरिक, एक वोट, एक मूल्य' का सिद्धांत निर्धारित करता है। संविधान का अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर, राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजित किया जाएगा, जो कि संसद द्वारा निर्धारित अनुच्छेद 170(3) प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने॰ का पुनः समायोजन प्रदान करें। साधारण शब्दों में कहें तो कुल जनसंख्या के आधार पर संसद द्वारा तय मानकों के आधार पर होता है। भारत में परिसीमन के इतिहास की बात करें तो 1951 की जनगणना के बाद, 1952 के परिसीमन आयोग अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था। इन सीमाओं को बाद में 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत स्थापित परिसीमन आयोगों द्वारा तीन बार निर्धारित किया गया था।बता दें कि हाल ही में हुए परिसीमन में 2001 की जनगणना के आधार पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया था। हालांकि, लोकसभा सीटों की संख्या प्रत्येक राज्य के लिए आवंटन और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या 1972 के परिसीमन के बाद से नहीं बदली है। 1971 की जनगणना के आधार पर, लोकसभा सीटों की संख्या 543 तय की गई थी, जिसका मतलब था कि प्रत्येक सांसद लगभग दस लाख भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम, 1976, जिसे आपातकाल की सरकार ने भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पारित किया था, उसके बाद 2000 के बाद पहली जनगणना होने तक लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस रोक कर कम से कम 2026 तक बढ़ा दिया था। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके प्रतिनिधि तथा राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। इसके अलावा, परिसीमन से गुजरने वाले प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सहयोगी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ये सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मौजूदा सांसद और संबंधित विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विधायक होते हैं। इसके बाद, एसोसिएट सदस्य इनपुट और सलाह तो देते हैं लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग की बात होती है तो वे वोट देने के अधिकारी नहीं होते हैं। आयोग सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा इसके द्वारा निर्धारित संशोधित सीमाओं को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन में जनगणना के महत्व की बात करें तो जनगणना के आंकड़े परिसीमन का मुख्य आधार होते हैं। दक्षिणी राज्यों की आशंका का मुख्य मुद्दा यही जनसंख्या ही है। उन्हें डर है कि उत्तर भारतीय राज्यों की जनसंख्या नियंत्रण में विफलता के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, जबकि दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण तो सफल रहा, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में जनसंख्या के चलते उन्हें नुकसान हो सकता है।जनगणना के आंकड़े भौगोलिक निकटता, जनसंख्या घनत्व और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित करने में बेहद अहम होते हैं। खास तौर पर, डेटा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि एससी/एसटी आबादी के हिस्से के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। प्रस्तावित सीमाओं के निर्माण के बाद परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें जारी करता है और आम जनता, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है। आवश्यक संशोधन करने के बाद परिसीमन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। आधिकारिक राज-पत्र में प्रकाशित होने के बाद, आयोग के आदेश अगले चुनाव में प्रभावी होते हैं।

आखिर कैसे रुकेगा निजी अस्पतालों में मरीजों का शोषण, जिम्मेदार कौन?

चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय कोई सामान्य पेशा नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत जीवन और जनस्वास्थ्य से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें थोड़ी-सी भी लापरवाही किसी के जीवन पर भारी पड़ सकती है। वहीं, अपना या अपने परिवार का इलाज करवाने के वक्त में यदि कोई व्यक्ति या परिवार लूट-पिट जाए तो यह भी प्रशासनिक नजरिए से अनुचित है। और ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के पक्ष में सरकार और समाजसेवी संस्थाओं दोनों को अवश्य खड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सा पेशा या स्वास्थ्य व्यवसाय को सिर्फ कारोबारी लाभ के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि यह एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व से जुड़ा हुआ विषय (पेशा) है, जिसे जनसेवा की भावना से किया जाए तो सरकार और संस्था दोनों को यश मिलेगा। भारतीय सभ्यता व संस्कृति तो शुरू से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की पक्षधर रही है। लेकिन देश में लागू नई आर्थिक नीतियों से उपजी नैतिक व कानूनी महामारी के दौर में जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। दुर्भाग्य है कि चिकित्सा पेशा भी इससे वंचित नहीं है। चर्चा है कि महज आर्थिक लाभ के उद्देश्य से चिकित्सक महंगी जांच और अनावश्यक दवाइयां लिख रहे हैं। जानलेवा ऑपरेशन करने और अंगों के कारोबार तक से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और न्यायिक जटिलताओं से ऐसे बहुत कम मामले हैं जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों से यह कहना कि वे प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के शोषण को रोकने के लिए उचित नीतिगत फैसला लें।

चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है संवाद

मेघा राठी

शब्द भाव संप्रेषण की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। हम कब, कहां और किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह हमारे जीवन की सफलताओं-असफलताओं को निर्धारित करता है। इनके माध्यम से हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं व्यक्त करते हैं। यह न केवल संचार का एक माध्यम है, बल्कि हमारे सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शब्दों का सही चयन और उन्हें सही समय पर बोलना हमारे जीवन को आसान बना सकता है, जबकि विपरीत परिस्थिति में यह जीवन को जटिल भी कर सकता है। बोलना, विशेष रूप से संवाद करना, किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। उदाहरण के तौर पर 'हम' शब्द को देख सकते हैं। 'हम', 'साथ', 'हमारा' आदि से रिश्तों में न केवल जुड़ाव बढ़ता है, बल्कि आपसी समझ और विश्वास भी गहरा होता है। किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाते समय अगर 'तुम' के बजाय 'हम' का प्रयोग किया जाए, तो यह भाव व्यक्त होता है कि हम समस्या का समाधान मिलकर करेंगे। इससे संबंध मजबूत होते हैं और टकराव कम होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए, तो जब कोई व्यक्ति 'हम' शब्द सुनता है, तो मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे परस्पर सहयोग और जुड़ाव की भावना उत्पन्न होती है। शब्दों में गहरी शक्ति होती है और जब 'हम' शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह सामूहिक प्रयास, सहयोग और एकता का संदेश देता है। यह एक सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है, चाहे वह परिवार हो, कार्यालय हो या मित्रता। जब कोई नेता अपने भाषण में 'हमारे देश', 'हमारी जिम्मेदारी' जैसे शब्दों का उपयोग करता है, तो वह अपने श्रोताओं में एकता और प्रेरणा का संचार करता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि हम कुछ लोगों के साथ होने पर कुछ बोलते हुए जब 'हम' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इसे एक सामूहिक पहचान के रूप में स्वीकार करता है। इससे समूह के प्रति निष्ठा बढ़ती है और व्यक्ति अधिक प्रेरित महसूस करता है। वहीं, जब हम इस दौरान 'तुम' या 'मैं' का प्रयोग करते हैं, तो यह एक अलगाव की भावना को जन्म देता है। हालांकि व्याकरणिक दृष्टिकोण से संदर्भ या आवश्यकता के अनुसार 'मैं' शब्द के प्रयोग पर कोई प्रश्न नहीं है। हमारा दृष्टिकोण और हमारी भाषा जीवन की दिशा तय करती है। सामूहिकताबोध का दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन को सरल बनाता है, बल्कि हमारी समस्याओं का समाधान भी तेजी से होता है। अगर कोई समूह किसी योजना के तहत काम कर रहा हो और किसी को 'तुम्हारी गलती' कहने के बजाय 'हम यह कैसे बेहतर कर सकते हैं' कहा जाए, तो यह दृष्टिकोण समूह को समाधान की दिशा में प्रेरित करेगा। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। बातचीत के क्रम सामूहिकताबोध दर्शाने वाले शब्दों से एक सहयोगात्मक मानसिकता विकसित होती है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करती है। किसी मुश्किल समय में आपसी संवाद के दौरान जब 'हम' का प्रयोग किया जाता है, तो इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके पास एक साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। यह भावना व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देती है और उसे मानसिक रूप से सशक्त बनाती है। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब लोग साथ खड़े होते हैं और कहते हैं- 'हम इसे कर सकते हैं', तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर सकारात्मक होता है। यह न केवल हमारी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें असफलताओं से भी उबरने की शक्ति देता है। मनोविज्ञान में इसे 'सोशल सपोर्ट थियरी' यानी सामाजिक सहयोग का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें बताया जाता है कि जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे सहयोग मिल रहा है, तो उसका तनाव कम हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। जब हम किसी की परेशानी या दुख को 'हम' के दृष्टिकोण से समझते हैं, तो उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसका अर्थ है कि हम केवल सलाह देने के बजाय उनकी स्थिति में खुद को रखकर सोचते हैं। यह दृष्टिकोण हमारी सहानुभूति और दूसरों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे संबंध और भी गहरे और मजबूत होते हैं।

बिहार में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी भाजपा- एनडीए गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया!

इस बार भाजपा ने बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के 122-121 के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए 139-104 का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दिलचस्प दौर जारी है। नीतीश कुमार जहां एक बार फिर अपने पुराने रूप में आते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। नीतीश तेजस्वी यादव पर निशाना साधने के साथ ही बिहार के मतदाताओं को 2005 से पहले के बिहार की भी लगातर याद दिला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। जन सुराज पार्टी के बैनर तले बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर ने यह बयान देकर सनसनी पैदा कर दी है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे लेकिन नतीजों के बाद वे फिर से पाला बदल सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इसके साथ ही अपने कई पुराने बयानों को दोहराते हुए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। भाजपा के रणनीतिकारों को भी नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली का बखूबी अंदाजा है। इसलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने पहले ही इसे ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2020 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जेडीयू और भाजपा के बीच 122-121 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ था। जेडीयू को मिले 122 सीटों में से 115 पर नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया था। वहीं भाजपा ने अपने कोटे की 121 सीटों में से 110 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 110 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि भाजपा से ज्यादा यानी 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। इस बार भाजपा ने बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव के 122-121 के फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए 139-104 का नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को इस बार सिर्फ 104 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। भाजपा इस फॉर्मूले के तहत 139 सीटें अपने कोटे में रखने की तैयारी कर रही है। भाजपा के आला नेताओं ने नीतीश कुमार को इस फॉर्मूले के बारे में बताते हुए यह भी साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कोटे में से ही गठबंधन में शामिल अन्य दलों को सीटें देगी। बताया जा रहा है कि 139 सीटों के अपने कोटे में से भाजपा 20 सीट चिराग पासवान की पार्टी को देगी और 7-7 सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को देगी।

वाटरशेड यात्रा अभियान का समापन समारोह संपन्न

मनासा/फूलपुरा, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड विकास योजना (झचघड्ध 2.0) के तहत जनपद पंचायत ब्लॉक मनासा में चल रहे वाटरशेड यात्रा अभियान का भव्य समापन ग्राम पंचायत फुलपुरा के पंचायत परिसर ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।

साथ में समारोह में 150 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 554 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह जी चौहान जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव मण्डल अध्यक्ष मदन रावत, गोपाल गुर्जर,मुकेश जी डांगी,कैलाश जी पुरोहित,विजय जी शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ अरविंद जी डामोर,सत्यनारायण जी मंडवारिया, नरेंद्र जी मालवीय, कैलाश जी घाटी, आनंद श्रीवास्तव, गोपाल मालवीय,विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच,जनपद सदस्यगण ,सभी कृषि विभाग के जिला अधिकारीगण एवं सम्मानीय पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वाटरशेड योजना का महत्व–विधायक श्री माधव मारू ने कहा, 'मेरा शुरू से ही वाटरशेड योजना से गहरा लगाव रहा है। मनासा तहसील की सभी सडकों का प्लान मैंने जिला पंचायत सदस्य रहते हुए तैयार किया था।' उन्होंने बताया कि 3,000 करोड रुपये की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ (पेयजल एवं सिंचाई) क्षेत्र में लागू की जा रही हैं। विधायक ने किसानों से जैविक खेती अपनाने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी घरों में नल से जल योजना के तहत पानी पहुंचेगा। वाटरशेड योजना से लाभान्वित जल योद्धाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

विकास की बड़ी घोषणाएँ– ✻ कुकडेश्वर का बायपास जल्द तैयार होगा। ✻ सीएम राइज स्कूल का निर्माण शीघ्र होगा। ✻ मनासा में रिंग रोड बनेगा, जिस पर कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है। ✻ हर गांव में सामुदायिक परिसर बनाए जाएंगे। ✻ बंजारा समुदाय वाली पंचायतों में अधिक विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 250 से अधिक सड़कों का निर्माण किया–उप मुख्यमंत्री

डिप्टी सीएम देवड़ा ने ग्राम अम्बाव, सिंदपन, ईरली एवं टिडवास में 61 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम अम्बाव में 61 करोड 9 लाख से निर्मित होने वाले सडकों का भूमि पुजन किया। भूमि पूजन के अंतर्गत 1 करोड 98 लाख 46 हजार से निर्मित होने वाले अम्बाव से सनावदा सडक का भूमि पूजन, 2 करोड 76 लाख 21 हजार से निर्मित होने वाले बालागुडा से सुजानपुरा सडक का भूमि पूजन, 2 करोड 84 लाख 82 हजार से निर्मित होने वाले खेडाखदान से कनघट्टी चौराहा सडक का भूमि पूजन, 4 करोड 16 लाख 69 हजार से निर्मित होने वाले उगरान से छाछखेडी सडक का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के अवसर पर नीमच विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, श्री राजेश दीक्षित, श्रीमती वंदना खंडेलवाल, जनपद अध्यक्ष सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी पत्रकार मौजूद थे।

सिंदपन में 19 करोड़ 11 लाख से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि पुजन किया–उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम सिंदपन में 19 करोड 11 लाख 97 हजार से निर्मित होने वाले सडकों का भूमि पुजन किया। भूमि पूजन के अंतर्गत 2 करोड 93 लाख 81 हजार से निर्मित होने वाले मिण्डलाखेडा से हनुमंतिया सडक का भूमि पूजन, 2 करोड 61 लाख 34 हजार से निर्मित होने वाले अरनियामीणा से डोडियामीणा सडक का भूमि पूजन, 7 करोड 58 लाख 8 हजार से निर्मित होने वाले अरनियामीणा से सिंदपन कामलिया सडक का भूमि पूजन, 1 करोड 20 लाख 85 हजार से निर्मित होने वाले कामलिया से लसुडियाराठौर सडक का भूमि पूजन, 1 करोड 68 लाख 20 हजार से निर्मित होने वाले खाखरियाखेडी से चौथखेडी सडक का भूमि पूजन, 3 करोड 9 लाख 69 हजार से निर्मित होने वाली हनुमंतिया से पलेवना सडक का भूमि पूजन किया।

ईरली में 15 करोड 94 लाख से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि पुजन किया– उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम ईरली में 15 करोड 94 लाख 51 हजार से निर्मित होने वाले सडकों का भूमि पुजन किया। भूमि पूजन के अंतर्गत 13 करोड 57 लाख 8 हजार से निर्मित होने वाले हरसोल से आवनाकाचरिया, इंरली, काल्याखेडी होते हुए खडपालिया तक सडक का भूमि पूजन, 2 करोड 37 लाख 43 हजार की लागत से निर्मित होने वाली आवना काचरिया से चन्द्रपुरा सडक का भूमि पूजन किया। ग्राम टिडवास में 6 करोड 70 लाख से निर्मित हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन टिडवास का लोकार्पण,

बरखेडाडांगी से सुदवास सडक का भूमि पूजन, 7 करोड 58 लाख से निर्मित होने वाले दोबडा से रूपारेल सडक का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री देवडा द्वारा कहा गया कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा सरकार ने बहाई है। सडकों का जाल बिछाया है। सडक के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। शरीर में जैसे नशे चलती है उससे शरीर अच्छा चलता है, वैसे ही सडकों के जाल से प्रदेश का विकास, विधानसभा क्षेत्र का विकास चलता है। मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चहुमुखी विकास हुआ है। कॉलेज और अस्पताल बनाए गए हैं। जिधर देखो उधर सडके बनाई गई है और जितनी भी सडके रह गई हैं उनको भी जल्द बनाया जाएगा। सडकों के क्षेत्र में पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। एक समय था जब सडकों के कारण आने-जाने में बहुत ज्यादा समस्या आती थी। सडकों के जाल बिछ जाने से अब आवागमन एवं परिवहन बहुत आसान हो गया है। पूरे देश में नदियों को आपस में जोडने काम चल रहा है। हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा। हर घर शुद्ध पानी मिलेगा। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का गारंटी कार्ड प्रदान किया गया है। सरकार ने इलाज का प्रबंध किया है। सभी अपने गांव में स्वच्छता रखे।

नगर पालिका द्वारा जलकर राशि नहीं बढ़ाई जाये–ग्राहक पंचायत

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। नगर पालिका परिषद द्वारा जलकर की दरों में वृद्धि की संभावित योजना का स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने कडा विरोध किया है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत को प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर पालिका जल्द ही जलकर की राशि में बढोतरी करने जा रही है, जबकि पहले से ही मंदसौर के नागरिकों पर अन्य नगरों की तुलना में अधिक जलकर भार डाला जा रहा है।

पुराने वादों पर अमल नहीं, फिर जलकर वृद्धि का प्रस्ताव–पिछले कुछ वर्षों में जलकर की दरें यह कहते हुए बढाई गई थीं कि नागरिकों को प्रतिदिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि जलापूर्ति एक दिन छोडकर की जा रही है, कई क्षेत्रों में पानी का दबाव कम है और जल गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं है। गर्मियों में स्थिति और खराब हो जाती है, जब जलापूर्ति दो से तीन दिन के अंतराल पर होती है।

चंबल योजना का लाभ नहीं, नागरिकों में आक्रोश–नगर पालिका द्वारा चंबल योजना के तहत जलकर बढाने के बावजूद नागरिकों को जल आपूर्ति में कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिली है। पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऐसे में एक और जलकर वृद्धि नागरिकों के साथ अन्याय के समान है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब पानी की उचित आपूर्ति ही नहीं हो रही है, तो जलकर वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है।

ग्राहक पंचायत ने सौंपा ज्ञापन, की विरोध की घोषणा–अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने इस जलकर वृद्धि प्रस्ताव के विरोध में नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संगठन के कई वरिष्ठपदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिनमें नवनीत शर्मा (जिला अध्यक्ष), राजेश जी पाठक (जिला उपाध्यक्ष), उमराव सिंह जैन (जिला विधि आयाम प्रमुख), आशीष भाटिया (जिला प्रचार प्रमुख), रंजीत जायसवाल (जिला उपाध्यक्ष), अंशुल जैन, विजय परदेसी और विनोद वाघेला शामिल थे।

नागरिकों की प्रमुख मांगें– जलकर में किसी भी प्रकार की वृद्धि न की जाए। पहले से लिए गए जलकर के बदले नागरिकों को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। जलापूर्ति की गुणवत्ता और समय सुनिश्चित किया जाए। ग्राहक पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि नगर पालिका ने जलकर वृद्धि का फैसला वापस नहीं लिया, तो जनता के सहयोग से उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर पालिका परिषद इस मांग को कैसे संबोधित करती है और नागरिकों को राहत प्रदान करती है।

8 मार्च महिला दिवस विशेष....

प्रतिभा की पर्याय है डॉ. श्रुति बटवाल

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। बहुआयामी प्रतिभा की धनी मन्दसौर की यशस्वी डॉ. श्रुति बटवाल ने एक शैक्षिक प्रशासक ,एक गहन अध्येता ,एक शोधकर्ता और एक सफल गृहिणी के रुप में सफलता के जो उच्च मानदण्ड कायम किये हैं वो गौरव का विषय तो है ही साथ ही उससे यह भी साबित होता है कि यदि आप दृढ संकल्प और असीम इच्छाशक्ति के साथ आगे बढें तो कुछ भी असम्भव और अलभ्य नहीं है। अपनी सक्रियता और कर्मठता से आगे बढते हुए महिला सशक्तिकरण का श्रेष्ठउदाहरण बन गई है। लाइफ साइन्स में पीएचडी , एक लोकोपयोगी कदम।

उल्लेखनीय उपलब्धियों की अपनी अनंत यात्रा में श्रुति ने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की जब इस अँचल के लब्धप्रतिष्ठित मन्दसौर विश्वविद्यालय ने उन्हें लाईफ साइन्स संकाय में उनके विशिष्टशोधकार्य के लिये डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पीएचडी) की उपाधि प्रदान की। डॉ श्रुति बटवाल ने मन्दसौर विश्वविद्यालय के गाइड एवम् डीन ऑफ़ लाइफ़ साइन्स तथा विश्वविद्यालय के डीन ऑफ़ एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर (डॉक्टर) श्री अरुणवा दास के निर्देशन में यह थीसिस पूर्ण की। मन्दसौर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में अध्ययरत डॉ श्रुति बटवाल ने ' मॉलिक्युलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ़ कैंडिडेट्स , लिबेरिबेक्टर एसीएयाटिक्स फ्रॉम मालवा रीजन ऑफ़ मध्यप्रदेश एण्ड इन सिलिको ड्रग डिजाइनिंग अगेंस्ट इट्स वाइटल प्रोटीन्स ' विषय में गहन शोध करते हुए यह पी एच डी प्राप्त की है। डॉ.श्रुति बटवाल ने मन्दसौर विश्वविद्यालय के प्रबन्धन एवम् गाइड तथा स्टाफ़ व परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि लाइफ़ साइंस में किये उनके शोध कार्य का लाभ विज्ञान , कृषि एवं समाज के लिए लोकोपकारी सिद्ध होगा। वे अपने इस शोधकार्य की लोकोपयोगिता के प्रति सन्नद्ध भी हैं ओर उनका शोध मालवा अंचल के कृषि विज्ञान में कैसे उपयोगी हो सकता है इस पर भी केंद्रित अवदान करने आतुर हैं।

श्रुति की उपलब्धियों का आधार उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि है श्रुति की शैक्षिक पृष्ठभूमि अत्यंत पुष्टरही है और यही उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का आधार भी रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा के शिक्षाविद् श्री शिवदयाल पारीक, श्रीमती सुनीता भँवरलाल पारीक (रूपायली) परिवार में जन्मीं श्रुति ने जयपुर में ही आरम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त की। हायरसेकंडरी , बीएससी और एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और आपने जयपुर विश्वविद्यालय तथा ज्योति विद्यापीठ वुमन्स यूनिवर्सिटी में विभिन्न विषयों में अध्यापन का काम भी किया। डॉ श्रुति कंप्यूटर में पारंगत हैं और राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में कोयंबटूर , कानपुर , जयपुर आदि में प्रतिभागी रही। इंटरनेशनल लेवल के साइंस जनरल्स में आपके शोधपत्रों का प्रकाशन हुआ है। डॉ श्रुति सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से भी जुडी रहकर कार्य कर रही हैं , अच्छी वक्ता , कुशल मंच संचालक होने के साथ कविता भी लिखती हैं। कई पत्र - पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई हैं।

आप फॉनिक्स , स्टेम के साथ नृत्य में भी दक्षता रखती हैं।– विवाह के बाद आपने शिक्षा क्रम जारी रखते हुए बीएड किया और मन्दसौर में मन्दसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, मन्दसौर इंटरनेशनल स्कूल और करणी इन्टरनेशनल स्कूल सहित अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य भी किया। विवाह के बाद भी श्रुति ने शिक्षण और अध्ययन के प्रति संकल्पबद्ध रहीं। बायो इंफेर्मेटिक्स में स्नातकोत्तर एवं बी .एड. उपाधि प्राप्त डॉ श्रुति बटवाल मन्दसौर के प्रमुख प्ले स्कूल विबोध की फाउण्डर प्रिंसिपल हैं और वरिष्ठपत्रकार ,समाजसेवी एवं जनपरिषद मन्दसौर चैप्टर अध्यक्ष डॉ घनश्याम बटवाल की पुत्रवधू हैं।

' विबोध ' प्रचलित और पारम्परिक – ढाँचे पर बनाया गया प्ले स्कूल है मगर डॉ श्रुति के शैक्षिक नवाचार ओर मॉड्यूलर कॅरिकुलम से उसे एक सम्पूर्ण और आदर्श प्ले स्कूल का दर्जा प्रदान कर दिया है विबोध प्ले स्कूल की संस्थापिका डॉ श्रुति शिक्षा को ज्ञान से कहीं आगे संस्कारों की संवाहक मानती है। उनका मानना है कि प्ले स्कूल में खेल-खेल में शिक्षा के साथ यदि हमने शिशुओं को संस्कार का शिक्षण नहीं दिया तो वो शिक्षा औपचारिक रह जायेगी। डॉ श्रुति बटवाल का मानना है कि छोटे नन्हे मुन्नों के भविष्य और जीवन आधार मजबूती के लिये प्ले स्कूली कालखंड में संस्कारों के साथ नैतिक अनुशासन , कार्य व्यवहार बुनियादी रूप से आवश्यक है और यही फ़ोकस रखते हुए कार्य कर रही हूं।

ब्रजेश जोशी , मंदसौर

संदर्भ-अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ....

संकल्प से सिद्धि का प्रमाण-नारी शक्ति वंदन अधिनियम

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। गत वर्ष 2024 में हम भारतीयों को हमारा नवीन संसद भवन मिला और इस नवीन संसद भवन में 20 और 21 सितंबर 2024 को आयोजित विशेष सत्र में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम से न केवल भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया वहीं सदियों से नारी शक्ति की सुप्त पडी चेतना की जागृति और भविष्य की दिशा निर्धारण में एक मील का पत्थर अंकित हुआ।

नई संसद में नया इतिहास रच दिया गया था। दशकों से लंबित विधायिका में महिला आरक्षण का स्वप्न साकार हो रहा था। 29 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन चुका है और लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं जिसमें 82 महिलाएं हैं इस कानून के बाद संसद में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। संविधान के 128 वें संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल 339 ए ए, 330 ए, 332 ए और 334 ए में संशोधन किए गए हैं। इनमें से एक संशोधन के अनुसार घोषित महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्षों के लिए होगी जिसे आवश्यकतानुसार संसद द्वारा बढाया जा सकेगा। प्रसन्नता का विषय यह रहा की लोकसभा में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम का समर्थन करते हुए वोट दिया लोकसभा में इसे कुल 543 में से 454 वोट से पारित किया गया वहीं राज्यसभा के कुल 250 सदस्यों में से 214 वोट से पारित किया गया। लोकसभा में केवल दो वोट इस अधिनियम के विरोध में पडे और राज्यसभा में एक भी वोट इसके विरोध में नहीं पड़ा। विगत तीन दशकों से इस बिल को पारित करने का प्रयास हो रहा था लेकिन कई बाधाओं के बाद आजादी के अमृत काल में इस बिल का पारित होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रमाण है।

अमृत काल की ओर बढते भारत में महिलाएँ – शक्ति, नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनी हैं। हमारे यहां प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि नर (पुरुष) करणी करें तो नारायण हो जाए यानी नर से नारायण बनने के लिए कुछ करना पडेगा लेकिन नारी के लिए कहा गया कि ' नारी तू नारायणी'। हमारे पूर्वजों ने कितना गहन चिंतन करके उक्त कथन का उल्लेख किया होगा इसको हम समझ सकते हैं। भारतीय साहित्य की अमर विभूति ओडीशा भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि कुंतला कुमारी साबत ने 100 वर्ष पहले यह उद्घोष किया था कि ' भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है ना दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी। यानी सदैव बनी रहेगी।' भारत के संस्कृतिक, साहित्यिक और शौर्य के इतिहास के हर पृष्ठ पर नारी शक्ति की उपस्थिति हमेशा से विद्यमान रही है। भारत पर निरंतर हुए आक्रमणों ने इस तेज को कम भले ही किया हो लेकिन इसे कोई मिटा नहीं सका। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका निर्धारित करेगा, महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाला होगा और महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगा। 140 करोड की भारत की आबादी में 50% प्रतिनिधित्व रखने वाली मातृशक्ति का यह सच्चे अर्थ में यह सम्मान है जो उसे बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दुनिया को यह एहसास कराया है कि भारत सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक संकल्प है जिसे पूरा करने के सभी प्रयास सकारात्मक रूप से किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण और उसकी भागीदारी को लेकर पहले प्रयास नहीं हुए? पहली बार महिला आरक्षण विधेयक 11 वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री देवीगौड़ा जी के समय 1996 में आया था। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1998 में यह विधायक लाया गया। तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुनः 1999 में इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। कभी संख्या बल की कमी तो कभी कुछ राजनीतिक दलों की असहमति जैसे कारणों के चलते और कई उतार-चढावों को देखने के बाद अंततः 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (128 वां संविधान संशोधन विधेयक) लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर पेश किया गया और 20 सितंबर 2024 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया।

डॉ. क्षितिज पुरोहित

महिला आरक्षण अब यथार्थ है और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के इस कथन के साथ अपने को जोड रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि – ' किसी देश में महिलाएं अगर प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाज और राष्ट्र प्रगति कर रहा है।' इसी क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि केवल नारी उत्थान ही नहीं नारी के नेतृत्व में विकास की दृष्टिकोण वर्षों में भारत सरकार की नीति बनी है और इस नीति को वैश्विक एजेंडा बनाकर नारी शक्ति को और सबल बनाने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। वास्तव में नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संकल्प की एक सिद्धि है।

निर्मला देवी ने महिला के साहस, समर्पण व प्रेरणा की मिसाल पेश की

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। मंदसौर जिले की रहने वाली निर्मला देवी ने महिला के साहस, समर्पण व प्रेरणा की मिसाल पेश की है। निर्मला देवी मुक्तिधाम में अब तक हजारों अंतिम संस्कार करवा चुकी है। नारी तू नारायणी, शास्त्रों में उल्लिखित इन शब्दों को मंदसौर शहर की महिला अपने साहस, समर्पण व प्रेरणा से चरितार्थ कर रही है। अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम आपको ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे है।जिन्होंने ओरो के लिए भी एक मिसाल कायम की है। निर्मला देवी नाम की महिला जो निस्वार्थ भाव से करीब 15 साल से अधिक मुक्तिधाम में अपनी सेवाए दे रही है। एक और कई जगह महिलाए अंतिम संस्कार में जाती तक नहीं है। वही शहर की निर्मला देवी करीब 15 सालों से अधिक सालों से मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करवा रही है। अंतिम क्रिया के लिए लकडी जमाना, राख समेटना सहित अन्य कार्य इनका नियमित काम है।

निर्मला देवी मुक्तिधाम में हजारों अंतिम संस्कार करवा चुकी है, कोरोना काल के समय भी निर्मला देवी अपनी जान की परवाह न करते हुए, बडी संख्या में शव को जलने की व्यवस्था को देखा। मंदसौर के गौरव दिवस पर मंदसौर के गौरव से सम्मानित किया गया है। इनके दो बेटों में से एक की कोरोना में व दूसरे की करीब डेढ साल पहले मृत्यु हो चुकी है। ये श्मशान घाट में सेवाए दे रही है। पूर्व में कार्यरत व्यक्ति के साथ वे यहा काम करने लगी और ऐसे करते करते यही कार्यरत रही। 15-16 सालों से समाजसेवा कर रही है। निर्मला देवी मंदसौर के मुक्ति धाम में कई समय से अपनी सेवाए निस्वार्थ भाव से दे रही है और इनके इस सेवा भाव के लिए और इनके काम के प्रति निष्ठा एवं सेवाभाव हेतु इन्हें मंदसौर के गौरव दिवस पर सम्मानित भी किया गया। 8 मार्च को महिला दिवस के दिवस के अवसर पर भी सम्मानित किया जावेगा। विभिन्न व्यवसायों में विभिन्न क्षेत्र में महिलाओ द्वारा विभिन प्रकार से योगदान किया जाता है परंतु निर्मला देवी के योगदान और सेवा सबसे अलग है। मुक्तिधाम जैसी जगह पर इन्होंने निस्वार्थ भावनाओं से विगत कई वर्षों सें ये कार्य कर रही है। और समाज के प्रति अपना योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दे रही है।

मंदसौर बावड़ी कला की मातृशक्तियों ने धूमधाम से मनाया फाग उत्सव, नृत्य करते हुए दिखे राधा कृष्ण

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। मंदसौर शहर में बड़े धूमधाम से अलग-अलग क्षेत्र में फाग उत्सव महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है वार्ड क्रमांक 26 बावड़ी कला की मातृशक्तियों ने एकत्रित होकर बड़े धूमधाम से फाग उत्सव मनाया एवं एक दूसरे को गुलाल लगाकर फुल उड़ाए गए।

श्रीकृष्ण ने प्रारंभ किया फाग उत्सव त्रैतायुग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। उसकी याद में धुलेंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्रीकृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फाग उत्सव हो गया,क्योंकि यह फागुन माह में आती है। महिलाएं धार्मिक गीतों पर नृत्य करती हुई भी नजर आई है फाग उत्साह में दो कृष्ण एवं दो राधा है जिसमें हंस कुंवर ने भगवान कृष्ण का स्वांग धारण किया तो जया कुंवर ने राधा रानी का स्वांग धारण किया गया एवं रवीना जोशी ने राधा रानी का रूप धारण किया एवं सोनू भाटी ने भगवान कृष्ण का रूप धारण किया एवं भजन मंडली की टीम पिपलिया मंडी एवं राजा खेड़ी एवं शहर किला रोड से आई , उन्होंने होली के गीत गाए जिसमें होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, राधा के हाथ कमोरी रे रसिया, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी बाजत ताल मृदंग झांझ ढप.उड़त गुलाल लाल भये बादर,के मन केशर घोरी रे रसिया के मन लाल गुलाल मँगाई, जुग जुग जीयौ यह जोरी रे रसियाश्चन्द्रसखी भज बाल कृष्ण छबि, फाग उत्सव आयोजन में सरिता सिसोदिया, कविता चौहान, शारदा चौहान, कल्पना, आरती रैकवार, सपना माली, छाया सिंह, मोनिका जोशी, यशोदा गंगा, लीलाबाई, सोनू लोहार, लक्ष्मी बाई सहित कई अन्य मातृशक्ति शामिल थी।

स्त्री स्वतंत्र तो हो पर स्वच्छंद ना हो

पुरुष की अनदेखी करके स्त्री कभी आगे नहीं बढ़ सकती?

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि, महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर राजनीति, समाज एवं सरकारी नौकरियों में उचित स्थान प्राप्त हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो।

भारत में तो महिला दिवस का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है क्योंकि हमारे भारत में सतयुग से ही नारी को यथा योग्य सम्मान प्राप्त होता रहा है। किंतु फिर भी जहां अपवाद रहें है उन्हें ठीक करने के लिए निरंतर प्रयासों का फल यह है कि आज राजनीति से लेकर शासकीय और अशासकीय सेवाओं में भी महिलाएं पुरुष के समकक्ष ही नहीं वरन् उनसे भी उंचे स्थान पर कार्य करने में सफल दिखाई दे रही है। परंतु नारी जब से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई है ,तब से वह विलासिता की ओर बढ़ने लगी है तथा स्वाभिमानी होने के स्थान पर इतनी अभिमानी होती जा रही है कि वह अपने वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन के महत्व को भी भूलती जा रही है, इसके परिणाम आए दिन भयावह होते जा रहे हैं, इसलिए अत: और फिर दृष्टि से स्वतंत्र होने के बाद भी नारी को हमेशा पुरुष का नियंत्रण स्वीकार करना चाहिए!

महिला दिवस हो या नारी सशक्तिकरण को लेकर जो भी अभियान चलाया जाता है वह नारी की योग्यता की स्वतंत्रता के लिए होता है ताकि उसकी अंतर्निहित योग्यताओं को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जा सकें किंतु इसका यह कदापि अर्थ नहीं है की नारी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद, निरंकुश तथा मर्यादाहीन हो जावे, इस हेतु भर्तहरि शतक के अनुसार नारी को स्वतरू ही पुरुष का नियंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए जैसे अविवाहित रहने पर पिता का और पिता के ना रहने पर भाई का एवं विवाह होने पर पति का तथा पति के ना रहने पर पुत्र का नियंत्रण स्वीकार करना चाहिए इसके अतिरिक्त पुत्र ना होने पर पौत्र अथवा दामाद या अपने परिवार में अन्य किसी पुरुष को सलाहकार के रूप में स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जो नारी पुरुष का नियंत्रण स्वीकार नहीं करती है, वह कभी-कभी पथभ्रष्ट भी हो सकती है अथवा संसार में अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो सकती है। उसे अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए पुरुष का सहारा आवश्यक है। अत: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी का अभिनंदन करते हुए आग्रह है कि उक्त विचार को अपने मन और मस्तिष्क में रखकर कार्य करने से ही महिलाओं का कल्याण हो सकता है। अन्यथा महर्षि वेदव्यास ने अपने महाभारत काव्य में लिखा है-कि स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान सकता है उसका पूरा श्लोक इस प्रकार है-

नृपस्य चित्तं कृपणस्य वित्तं, मनोरथा: दुर्जनमानवानाम। त्रिया चरित्रं पुरुषस्यभाग्यम् , देवो न जानाति कुतो मनुष्य:॥

अर्थात- राजा का चित्त, कंजूस का धन, दुर्जनों का मनोरथ, स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों का भाग्य देवता तक नहीं जान पाए तो मनुष्य की तो बात ही क्या है।

रमेशचन्द्र चन्द्रे, मंदसौर

महिला दिवस पर विशेष...

विकास की ऊंचाइयों को स्पर्श करती आज की नारी

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। विधाता के बाद इस सृष्टि की महान सर्जक नारी है। नारी विश्व का अर्द्ध भाग है। यूँ तो नारी की कथा नई नहीं है। धर्म, दर्शन, समाज सभी में नारी विद्यमान है। युग के अनुसार भले ही उसका रूप बदला होगा पर भूमिका नहीं बदली। जिस तरह गंगा नदी की धारा अपना रास्ता खुद बनाती हुई आगे बढ़कर अपनी मंजिल तय करती है उसी प्रकार नारी को भी न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। कभी सती बनकर आत्म-सम्मान की रक्षा की है तो कभी सीता बनकर अग्नि-परिक्षा देनी पड़ी है। कभी द्रौपदी बनकर पुरूषों के हाथ बिकी है तो कभी पन्ना धाय बनकर मातृत्व का सौदा करना पड़ा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि उसने जितने भी रूप धारण किये हैं विजय हमेशा उसी की हुई है। क्योंकि संसार में शक्ति के बिना न तो किसी कार्य में सफलता मिल है और न ही किसी साधन में सिद्धि। लौकिक जगत की तो बात ही क्या देव शक्तियों में भी स्त्री शक्ति सर्वोपरि है। इसीलिए देवताओं का एक रूप अर्धनारीश्वर का भी है। पुरूष शिव है तो नारी शक्ति है, अर्द्धनारीश्वर की धारणा भारत में ही पनपी, सौन्दर्यलहरी के पहले ही श्लोक में लिखा है - शिव: शक्तया युक्तों यदि भवति शक्ति: प्रभुवितुं। शिव जब पराशक्ति के साथ जुड़ते है तभी पूर्ण शक्ति शाली बन पाते हैं।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति के तीनों कालों के इतिहास में देश की छवि को निखारने में नारी का योगदान रहा है। उपनिषद ओर ऋग्वेद कालीन नारियों ने देश की उन्नति को चमकाने में शैक्षिक चिन्तन के द्वारा प्रयास किया। नारी को गृहस्वामिनी, अर्धांगिनी या देवी कहा है। स्त्री और पुरूष गृहस्थी के दो पहिए माने जाते थे और इसलिए भगवान राम को सोने की सीता बनवाकर अनुष्ठान करवाना पड़ा था। अब तक अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, नारी स्वतंत्रता वर्ष, बालिका वर्ष, नारी अधिकार वर्ष, नारी अस्तित्व वर्ष घोषित कर अवश्य ही हम महिलाओं के प्रति उदारवान बने हैं। इसी की प्रेरणा स्वरूप प्रतिवर्ष 8 मार्च महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। आज 21वीं शती की देहरी पर पैर रखती स्त्री पूर्णत: स्वावलम्बी बन गई है। उसके आत्मविश्वास, धैर्य, साहस में वृद्धि हुआ है वह शक्ति, बुद्धि सामर्थ्य और कर्त्तव्य से पुरूष से कहीं आगे तो कहीं कंधे से कधां मिलाकर अर्थार्जन कर रही है। परिवार पाल रही है। सरकार शासन, मंत्रिमण्डल, प्रशासन, बैंक, सेना, विमान सेवा, कम्प्यूटर टेक्नालॉजी, व्यापार सभी क्षेत्रों में वह आगे बढ़ी है इतना ही नहीं भारतीय स्त्री विदेशों में भी राजनीति, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में ऊँचे ओहदों पर आसीन है। गांव की गलियों से लेकर संसद तक नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रसोई से राजभवन तक पूरी तत्परता से महिलाओं ने कमान संभाली है। नारियों में निर्भीकता और सामना करने की ताकत एनकाउंटरनेस पैदा हुई है। महिलाओं ने अपने परिवेश की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कदम आगे बढ़ाये हैं। नारी अपनी निष्ठा, श्रम और शिव-संकल्प के बल पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है, उसके मार्ग में पग-पग पर काँटे बिछे हैं, उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी है।

आज स्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। परिवार की सुरक्षा से लेकर देश की सीमा सुरक्षा तक के क्षेत्रों में नारी का प्रवेश हो चुका है। हाल ही में भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी असाधारण क्षमता का परिचय दिया हैं उन्होंने बजट 2025-26 में पुरानी परम्पराओं से हट कर विकास को प्राथमिकता देने के साथ गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को भी सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है जिससे सकारात्मक बदलाव आयेगा। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में भी उँच्चे से उँच्चे पद की अधिकारिणी बनकर देश की बागडोर संभालने में सफलता हासिल की है। हालांकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या कम है - वैसे भी हमारे देश में समाज के बहुआयामी स्तर भेद हैं - एक तरफ सूचना प्रोद्योगिकी में अग्रसर होते युवा वैज्ञानिक दूसरी तरफ गरीबी रेखा से भी निचले स्तर पर की बहुसंख्यक अल्पशिक्षित, अशिक्षित जनता। यही अन्तर महिलाओं में भी है। उच्च शिक्षा में उनका प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा कम है फिर भी आर्थिक आत्मनिर्भरता ने करियर वूमेन को आत्मविश्वासी बना दिया है। नयी सोच, नयी दृष्टि का निरंतर विकास हो रहा है। नारी स्वातंत्र्य के संमर्थक स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था आप मुझे सौ अच्छी माताएं दीजिए मैं भारत का नक्शा बदल कर रख दूंगा। देश की प्रगति नारी बिन असंभव है। यह पूर्ण सत्य है कि नारी राष्ट्र की आत्मा होती है। राष्ट्र की सुन्दरता भी नारी के साथ जुड़ी है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र का चरित्र ही नारी है। जीवन का संस्कार भी नारी को माना गया है। सुसंस्कारित नारी सम्पूर्ण राष्ट्र को दिव्य ज्योति प्रदान करती है। स्वाभाविक है राष्ट्र की प्रगति में नारी का योगदान बहुमूल्य हीरे के समान माना जाता है। अस्तु।

डॉ. गुणमाला खिमेसरा
सदस्य, राजभाषा सलाहकार समिति, भारत सरकार, गृहमंत्रालय, नई दिल्ली

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: नारी शक्ति का उत्सव

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2025 में, इस दिवस की थीम 'एक्सेलरेट एक्शन' (Accelerate Action) है, जो महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और समावेशी विकास को तेज गति देने पर जोर यह दिन उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। खेल, शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, राजनीति—हर जगह वे सफलता की नई उंचाइयों को छू रही हैं। भारत में कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम और पी.वी. सिंधु लक्ष्मीबाई केलकर जैसी महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर अवसर मिले, तो महिलाएं हर चुनौती को पार कर सकती हैं।

सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्वला योजना, महिला हेल्पलाइन 181, निर्भया फंड जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सभी फील्ड मे समान अवसर प्रदान करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेसमान वेतन और अधिकारों की लड़ाई अपनी बातें उचित प्लेटफार्म पर रख सके।

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	25	2291	2656
उडद	6	5399	5399
सोयाबीन	3705	3541	4151
गैहु	5500	2300	2971
चना	566	4731	5582
मसुर	320	5341	6043
धनिया	880	5300	8390
लहसुन	18000	4000	6550
मैथी	510	4104	5464
मुंगफली	1053	4080	4941
अलसी	822	5450	5880
सरसो	961	4900	5600
तारामीरा	25	4500	4716
इसबगोल	16	9696	12140
प्याज	1249	600	2051
कलोंजी	4	12971	15599
तुलसी बीज	4	13301	14499
डॉलर	10	7002	7352
तिल्ली	9	7953	8681
जौ	90	2025	2215
मटरसुखी	12	4001	4401
असालीया	100	6800	7151
चियाबीज	78	10850	13700

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन

लोक सुनवाई की संशोधित आम सूचना

सर्व सबंधितों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत M/s Himmat Singh Runija Laterite Quarry (5,635 Ha) For Mining of minerals, Khasra No. 2811, 2812 Area 5.935 ha. Capacity: ROM is 52149 TPA (Laterite 50193 TPA and OB/Waste 1956 TPA) at Village Runija, Tehsil Suvasara, Distt. Mandsaur (M.P.) के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित खदान परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 21.02.2025 को स्थान-कार्यालय तहसीलदार तहसील सुवासरा जिला मंदसौर में समय प्रात: 11:00 बजे से आयोजित की गई थी, किन्तु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्र. 354 दि. 05.03.2025 में उल्लेखानुसार लोक सुनवाई आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग व्दारा उज्जैन में आयोजित बैठक में अधिकारी के उपस्थित होने के कारण, लोक सुनवाई में अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने से स्थगित की गई तथा उक्त लोक सुनवाई पुन: दिनांक 24.04.2025 को दोपहर 12:00 बजे स्थान- कार्यालय तहसीलदार तहसील सुवासरा जिला मंदसौर में आयोजित की जा रही है। लोक सुनवाई से संबंधित जानकारी दिनांक 21.01.2025 के स्वदेश समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्र गुरु एक्सप्रेस के अनुसार है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.) के कार्यालय में लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है।

(क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन)

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन

लोक सुनवाई की संशोधित आम सूचना

सर्व सबंधितो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत M/s Himmat Singh Khejadiya Megha Laterite Quarry (27.140 Ha) For Mining of minerals, Khasra No. 106 Area 27.140 ha. Capacity: ROM is 52173 TPA (Laterite 50179 TPA and OB/Waste 1994 TPA) at Village Khejadiya Megha Tehsil Suvasara, Distt. Mandsaur (M.P.) के लिए भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित खदान परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 21.02.2025 को स्थान-कार्यालय तहसीलदार तहसील सुवासरा जिला मंदसौर में समय प्रात: 11:00 बजे से आयोजित की गई थी. किन्तु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रं. 354 दि. 05.03.2025 में उल्लेखानुसार लोक सुनवाई आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग व्दारा उज्जैन में आयोजित बैठक में अधिकारी के उपस्थित होने के कारण, लोक सुनवाई में अधिकारी की उपस्थिति नहीं होने से स्थगित की गई तथा उक्त लोक सुनवाई पुन: दिनांक 24.04.2025 को दोपहर 12:00 बजे स्थान कार्यालय तहसीलदार तहसील सुवासरा जिला मंदसौर में आयोजित की जा रही है। लोक सुनवाई से संबंधित जानकारी दिनांक 21.01.2025 के स्वदेश समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्र गुरू एक्सप्रेस के अनुसार है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन जिला उज्जैन (म.प्र.) के कार्यालय में लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है।

(क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन)

पुलिस पेट्रोल पंपों पर नकद लेन-देन प्रतिबंध, ग्राहक असमंजस में, ग्राहक पंचायत ने की कार्रवाई की मांग

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश और शहर में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित पुलिस पेट्रोल पंपों पर नगद भुगतान न लेने की शिकायतें बढ रही हैं। ग्राहक पंचायत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की है। ग्राहकों का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर खुलेआम नोटिस लगाए गए हैं, जिनमें स्पष्ट लिखा है कि केवल ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किया जाएगा। इससे उन लोगों को परेशानी हो रही है जो डिजिटल लेन-देन में सहज नहीं हैं, विशेष रूप से बुजुर्ग और अशिक्षित नागरिकों को।

नगद लेन-देन का प्रतिबंध कितना उचित? –ग्राहक पंचायत ने अपनी शिकायत में कहा कि पुलिस पेट्रोल पंपों पर लागू यह नियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का उल्लंघन है। कानून के तहत भारतीय मुद्रा को किसी भी लेन-देन में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय दंड संहिता 2023 के अनुसार, किसी को भी भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड सकता है। यहां तक कि यह मामला देशद्रोह की श्रेणी में आ सकता है, जिससे गंभीर दंड का प्रावधान है।

स्वयं पुलिस पेट्रोल पंपों को हो रहा आर्थिक नुकसान–सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट स्वीकार्य करने से पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंपों पर बिक्री कम हो रही है इसका सीधा असर पुलिस के वैधानिक आर्थिक तंत्र को हो रहा है , इन पेट्रोल पंपों से होने वाली आय पुलिस वेल्फेयर मे इस्तेमाल की जाती है।

बुजुर्ग और आम नागरिकों की समस्या–ग्राहक पंचायत के अनुसार, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन या डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है। ऐसे ग्राहकों को पेट्रोल पंप से खाली हाथ लौटना पड रहा है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ गई हैं। इस फैसले से उन लोगों को भी असुविधा हो रही है, जिनके पास नकद पैसे तो हैं, लेकिन डिजिटल भुगतान की सुविधा नहीं है। पेट्रोल पंपों पर आकर भी वे तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे उनका गुस्सा बढता जा रहा है।

प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग–बुधवार को ग्राहक पंचायत सदस्यों मे सर्वश्री उपस्थित सदस्यों में जिला अध्यक्ष नवनीत शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश पाठक, जिला विधि आयाम प्रमुख उमराव सिंह जैन, जिला प्रचार प्रमुख आशीष भाटिया, जिला उपाध्यक्ष रंजीत जायसवाल, अंशुल जैन, विजय परदेसी, विनोद वाघेला सहित अन्य मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले को तत्काल रद्द करने की मांग की। संगठन ने आग्रह किया कि पेट्रोल पंपों पर नगद भुगतान की सुविधा को फिर से बहाल किया जाए ताकि किसी भी ग्राहक को परेशानी न हो। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या कदम उठाता है। यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो यह मामला और गंभीर हो सकता है।

लोक संगीत एवं नृत्य जीवन के तनाव को कम करते हैं

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। आज की भागदौड की जिन्दगी का तनाव कम करने में लोक संगीत एवं नृत्य की भूमिका अहम् सिद्ध हो सकती है। यह सदियों से आजमायी हुई परंपरा है जो पीढी दर पीढी अपने निशान अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। इसका कोई शास्त्र नहीं एवं अत्यंत साधारण साजों से इसका निर्वाह आज भी संभव है।

राजस्थान के बाडमेर जिले से आई लोक संगीत एवं नृत्य कलाकारों की छोटी सी टोली ने शहर के तेलिया तालाब स्थित डांगी सभागृह में टैलेंट ऑफ मंदसौर के मंच पर एक घंटे तक अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा की श्रोता वाह वाह कर उठे। आरंभ में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और अतिथियों का सम्मान दुपट्टा पहन कर किया गया।संगीत संध्या की शुरुआत हुई प्रसिद्ध राजस्थानी गीत घूमर की प्रस्तुति से तत्पश्चात मां से नैना मिलाई रे , फिर बांसुरी वादन व नृत्य। बगैर किसी तामझाम,माइक व्यवस्था,मंच और साधारण वेशभूषा में दिल की तरंगें जुबां पर कैसे आती है,मन कैसे झूमता है, तालियां बजाने के लिए बार-बार बोलना नहीं पडता। ऐसी मधुर संध्या का समापन इन लोक कलाकारों के स्वागत,आभार एवं सम्मान के साथ पूर्ण हुआ। कार्यक्रम में टैलेंट ऑफ मंदसौर के संयोजक नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, डाइट कालेज प्राचार्य दिलीप राठौर, श्रीमती राठौर, सुदीप दास, श्रीमती आरती जैन, मिताली ,नरेन्द्र भावसार, पंकज, विजय देव,अजय डांगी, श्रीमती चन्दा डांगी उपस्थित रहे।

महाकाल के आंगन में प्रदोषकाल में होगा होलिका दहन, 14 मार्च को भस्मारती में हर्बल गुलाल से खेलेंगे होली

उज्जैन, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 13 मार्च को राजसी वैभव के साथ होली उत्सव मनेगा। भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद प्रदोषकाल में होलिका का पूजन उपरांत दहन किया जाएगा। 14 मार्च को धुलेंडी पर तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल के साथ हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। उत्सव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

ज्योतिर्लिंग की पूजन परंपरा में होली उत्सव का विशेष महत्व है। देशभर से सैकड़ों भक्त राजा की रंगारंगीली होली देखने मंदिर पहुंचते हैं। इस बार यह उत्सव 13 मार्च को पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर परिसर में श्री ओंकरेश्वर मंदिर के सामने पुजारी, पुरोहित परिवार द्वारा होलिका का निर्माण किया जाएगा। शाम 7.30 बजे भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका का पूजन करेंगे। पश्चात होलिका का दहन होगा।

मंदिर समिति उपलब्ध कराएगी हर्बल गुलाल–परंपरा अनुसार 14 मार्च को होली उत्सव मनाया जाएगा। तडके 4 बजे भस्म आरती में पुजारी भगवान महाकाल को हर्बल गुलाल अर्पित करेंगे। मंदिर समिति पुजारियों को प्राकृतिक उत्पादों से तैयार हर्बल गुलाल उपलब्ध कराएगी। बताया जाता है, मंदिर समिति होली उत्सव के लिए एक थाल भरकर गुलाल उपलब्ध कराती है। वैसे भी ज्योतिर्लिंग क्षरण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी ने भगवान को समिति मात्रा में पूजन सामग्री अर्पित करने का सुझाव दिया है।

ज्योतिष का मत : 13 मार्च को होली मनाना शास्त्र सम्मत–ज्योतिष व धर्मशास्त्र के जानकार 13 मार्च को होली मनाना शास्त्र सम्मत बता रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पं.अमर डब्बावाला ने बताया 13 मार्च को सुबह 10 बजकर 20 मिनट तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र व सिंह राशि के चंद्रमा की साक्षी में पूर्णिमा तिथि लगेगी, जो प्रदोष काल में पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। धर्मशास्त्र में होलिका का पूजन प्रदोषकाल में बताया गया है। इसलिए शुभयोग व नक्षत्र में 13 मार्च को प्रदोषकाल में होलिका का पूजन करना श्रेष्ठ है। इस दिन पाताल वासनी भद्रा भी रहेगी, इसलिए होलिका का दहन अवश्य रात 11.30 बजे के बाद करना चाहिए। सामान्यत: होलिका का दहन अगले दिन सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ऐसे में 13 व 14 मार्च की तारीख होली तथा धुलेंडी मनाने के लिए शास्त्र सम्मत है।

सिंहपुरी में पांच हजार कंडों से बनेगी हर्बल होली–पुराने शहर सिंहपुरी में गाय के गोबर से बनाए गए पांच हजार कंडों से होली बनाई जाएगी। आयोजन समिति का दावा है कि यह विश्व की सबसे बडी हर्बल होली है। इसमें सिर्फ गाय के गोबर से बने कंडों का उपयोग होता है। लकडी का उपयोग नहीं किया जाता है। होली के मध्य में डांडा के रूप में ध्वज लगाया जाता है। इस बार यह आयोजन 13 मार्च को होगा। शाम को प्रदोष काल में चार वेद के ब्राह्मण चतुर्वेद पारायण से होलिका का पूजन करेंगे। रात्रि जागरण के उपरांत अगले दिन सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाएगा।

श्री बड़े बालाजी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव पर होंगे आयोजन, संगीतमय सुंदरकांड से होगा शुभारंभ

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। स्थानीय पुराना बस स्टेण्ड स्थित प्रसिद्ध व चमत्कारी श्री बडे बालाजी मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव पर 20 दिवसीय भव्य कार्यक्रम 7 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आयोजित किये जायेंगे।

मंदिर समिति अध्यक्ष पं. दिलीप शर्मा एवं प्रवक्ता रवि ग्वाला ने बताया कि हर वर्ष बालाजी मंदिर पर धार्मिक आयोजन किये जाते है जिसमें बडी संख्या में धर्मालुजन सम्मिलित होकर संकटमोचन भगवान बालाजी की भव्य प्रतिमा का दर्शन वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करते है। इस वर्ष भी समिति द्वारा 20 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। जिसका शुभारंभ 7 अप्रैल को भव्य सुंदरकांड से होगा। जिसमें संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हरिहर भक्त मण्डल उज्जैन द्वारा किया जाएगा। 12 अप्रैल को भव्य आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ो के साथ भगवान बालाजी की महाआरती होगी। 20 अप्रैल को विशाल भण्डारे का आयोजन होगा जिसका लाभ हजारों भक्तगण लेंगे। साथ ही 26 अप्रैल को विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसके सूत्रधार हास्य कवि मुन्ना बैटरी होंगे। 7 अप्रैल से 26 अप्रैल तक प्रतिदिन मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष पं. दिलीप शर्मा, प्रवक्ता रवि ग्वाला समिति के सदस्यगण विनय दुबेला, नरेश चंदवानी, दिनेश जोशी (ऊँशांति), अनिल कियावत, चौथमल शर्मा, सज्जनलाल खमेसरा, नारायण पालीवाल, अनिल सुराह, महेन्द्रसिंह सिसोदिया, हेमन्त सुरा, शिवशंकर सोलंकी, कपिल सोलंकी, राजाराम तंवर, जीवनलाल गोसर, वरदीचंद कुमावत, मुन्ना बैटरी, विनोद रूनवाल आदि ने सभी बालाजी भक्तों से 20 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों में उपस्थित होने की अपील की है।

शहर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष डा.तोमर के मौसा जी का निधन, ग्वालियर में हुआ अंतिम संस्कार

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मन्दसौर अध्यक्ष डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर के मौसा जी ठाकुर रामवीरसिंह तोमर का गुरुवार रात ग्वालियर में उपचार के दौरान निधन हो गया। वह बी एस एफ से सेवानिवृति के बाद से ग्वालियर में ही रह रहे थे। कुछ दिन पूर्व वह सीहोर में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सुनने आए थे जहां पर अत्यधिक तबीयत खराब होने से उन्हें ग्वालियर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा शुक्रवार शाम को ग्वालियर बी एस एफ कॉलोनी निवास से निकली। परिजनों एवं स्नेहीजनों ने उन्हें अंतिम बिदाई दी। उनके पुत्र इंजीनियर मुकेश सिंह तोमर ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी,प्रदेश प्रभारी श्री हरीश चौधरी,मध्यप्रदेश शासन मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री विधायक श्री बाला बच्चन,श्री जयवर्धनसिंह, श्री नरेन्द्र नाहटा,श्री सुभाष सोजतिया,पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन,श्री रामेश्वर नीखरा,पूर्व विधायक श्री दिलीपसिंह गुर्जर,जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक श्री विपिन जैन,पूर्व विधायक श्री नवकृष्ण पाटिल,श्रीमती पुष्पा भारतीय, कांग्रेस नेतागण महेन्द्र सिंह गुर्जर,परशुराम सिसोदिया,राकेश पाटीदार,मोहम्मद हनीफ शेख,सुनील बसेर,अजय लोढा,मंजीतसिंह टुटेजा आदि ने अपनी ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की है।

बड़े अस्पताल की लेब अब एनएबीएल प्रमाणित, जांच सुविधाएं मिलेगी

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। जिला मुख्यालय के बड़े अस्पताल की पैथोलॉजी लैब को नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज की मान्यता प्राप्त हुई है। इस मान्यता के बाद अब मरीजों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच सुविधाएं मिलेंगी। लेब में 106 प्रकार की पैथोलॉजी जांचें उपलब्ध होंगी। हर महीने 50 हजार से ज्यादा जांचें की जा सकेंगी।

मंदसौर के बड़े अस्पताल में निरंतर सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में पैथोलॉजी लेब मंदसौर को एनएबीएल एक्रीडिटेशन प्राप्त हुआ है। बड़े अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर डीके शर्मा ने बताया की एनएबीएल की

मोहर लगने के बाद लैब में बीमारियों की जांच को लेकर मरीजों को फायदा होगा। मरीजों को आर्थिक रूप से भी नुकसान नहीं उठाना पडेगा। इस समय लेब में बीमारियों की जांच को लेकर जो रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट को लेकर जब मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया जाता है तो वहां के चिकित्सक दोबारा से सभी जांच करवाते हैं। इससे मरीज को शारीरिक व मानसिक रूप से तो परेशान होना ही पड़ता है। बल्कि, आर्थिक रूप से भी काफी बोझ पड़ता है। एनएबीएल की मान्यता मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा।

मान्यता के बाद अब मरीजों को अधिक विश्वसनीय और त्रुटिरहित रिपोर्ट मिलेगी। इससे रोगों की सटीक और त्वरित पहचान हो सकेगी। मरीजों को समय पर सही इलाज मिल सकेगा। यह मान्यता अस्पताल की विश्वसनीयता को भी बढाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जिले के अधिक से अधिक मरीजों को इसका लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जन औषधि दिवस उत्सव मनाया

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना अंतर्गत आज प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जन औषधि दिवस उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी गुर्जर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, एसडीएम की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

राज्य सभा सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर द्वारा अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री द्वारा चिकित्सा कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने एवं मध्यम व गरीब परिवारों को सस्ते मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाइयों की पहल को अद्वितीय बतलाया। आम जनों को 50 से 90 % कम दरों पर दवाइयां उपलब्धता हेतु भी सराहनीय कदम बताया। अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाइयों के संदर्भ में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला उन्होंने बतलाया कि लगभग 6 माह से निरंतर आम जनता को बाजार मूल्य से 50 से 90 प्रतिशत तक की नियत पर कम दरों में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। जिससे गरीब व्यक्तियों को समुचित लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर वर्तमान में 300 से अधिक प्रकार की दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध है। भविष्य में समस्त 2000 + दवाइयां उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से गांधी चौराहे तक समस्त अतिथियों एवं आमजनों ने जागरूकता हेतु रैली भी निकाली जिसमें बडी संख्या में उषा, आशा कार्यकर्ता, महिलाएं एवं आम जनों की भागीदारी विशेष उल्लेखनीय रही।

सीबीएन ने 1650 पेज...

पेज 1 से जारी

के व्यापारी, पुलिसकर्मी और तस्कर शामिल थे। सीबीएन ने तस्करी के इस बडे प्रकरण में बाबू सिंधी सहित 10 आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया और अनुसंधान के पश्चात विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के समक्ष चालान पेश किया। सीबीएन की तरफ से 10 गवाहों के बयान इस प्रकरण में दर्ज किए गए। कुछ समय पहले ही न्यायालय ने फैसले के लिए प्रकरण सुरक्षित रख लिया था। इस प्रकरण में जयकुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी और उसके साथी राजेंद्र शर्मा, अनुराग ऐरन, अशोक डांगी, सौरभ कोचटटा, प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी, पंकज कुमावत, कैलाश गादिया के बारे में फैसला आना है। सभी आरोपी वर्तमान में जैल में है, वहीं विनोद गुर्जर व शिवचरण गुर्जर निवासी झालरी फरार है।

अतिक्रमण बता किसान के खेत पर चली सरकारी जेसीबी

पीड़ित बोला-पट्टा प्रशासन ने दिया, कलेक्टोरेट पहुंचकर दिया धरना

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। गरोठ तहसील के ग्राम उमरिया में एक किसान के खेत पर सरकारी जेसीबी ने फसलों को नष्ट कर दिया। राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। विभाग का कहना था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर फसल बोई गई। जबकि, किसान का कहना था कि बिना नोटिस के यह कार्रवाई की गई। शासन ने जीवन यापन करने के लिए पट्टे के रूप में जमीन किसान को दी है। इसके बाद किसान और परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग मंदसौर कलेक्टोरेट पहुंचे। यहां धरना दिया गया। सूचना मिलने के बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष रूपल संचेती भी कलेक्टोरेट पहुंची। यहां उन्होंने किसानों से बात की। उनकी शिकायत और समस्या को अधिकारियों के सामने रखा।

मामला गरोठ तहसील के ग्राम उमरिया का है। गुरुवार को प्रभु लाल पिता बालू राम निवासी उमरिया के खेत पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची। यहां खडी प्याज, मेथी, गेहूं और अन्य फसल को नष्ट किया गया। राजस्व विभाग का कहना था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर फसल उगाई गई है। वहीं किसान के घर को भी तोडने की बात कही गई। फसल को नष्टकरने के दौरान परिवार जनों ने खासा विरोध किया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शुक्रवार को किसान और परिवार के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां आवेदन के माध्यम से शिकायत की गई। जिसमें बताया कि बिना किसी सूचना और नोटिस के अलावा किसान की गैर मौजूदगी में फसल को नष्ट किया गया। साथ ही मकान को तोडने की भी बात कही गई। किसान का कहना था कि यह जमीन शासन ने उसे पट्टे के रूप में दी है। इसके दस्तावेज भी उसके पास है। किसान और परिवार कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। किसान परिवार ने 06 लाख रूपए मुआवजा देने की मांग की है।

108 एंबुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, चालक घायल

बड़वन, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। अफजलपुर थाना के अंतर्गत ग्राम झिरकन वह कुचदौड रोड के यहां पर रात्रि में 108 एंबुलेंस क्रमांक CG04NV6485 अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई एंबुलेंस आगे की तरफ से पूरी छत्तीग्रस्त हो गई है. जिसमें चालक ड्राइवर घायल हुआ गनमित यह थी कि उसमें पेसेंट नहीं थे। इस मोड पर कहीं बार हादसे हो चुके कही फॉरवीलर वाहन हादसे के शिकार हो चुके है!ग्रामीणों की मांग है कि दोनों तरफ ब्रेकर बनाया जाए अधिकतर वाहन तेज गति से आते हैं अनियंत्रित होकर सामने खाई में गिर जाते हैं कई लोगो की तो जान भी चली गई है।

उत्साह व उमंग के साथ मनाया फाग महोत्सव

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। श्री चारभुनाथ मंदिर महिला मंडल सुतार समाज नयापुरा पंचायत मंदसौर द्वारा श्री चारभुजानाथ मंदिर पर महिलाओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पित कर फाग महोत्सव उत्साह व उमंग के साथ मनाया। इस दौरान ढोल की थाप पर महिलाओं ने फाग गीतों पर नृत्य किया तथा पारंपरिक फाग गीत गाये।

इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने अबीर गुलाल व फूलों से होली खेली व एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान राधा का रूप अक्षिता शर्मा व कृष्ण का रूप कांता शर्मा रूप धरकर सकबा मन मोहा। सभी ने राधा-कृष्ण को गुलाल लगाकर होली खेली। इस अवसर पर महिला मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा (भावरेल), उपाध्यक्ष कांता शर्मा, कोषाध्यक्ष रत्ना कुणेचा, सचिव कला मारीवाल सहित महिला मण्डल सदस्य हेमलता मारीवार, मंजू भदानिया, गीता शर्मा, आशा गाजवा, अरूणा भावरेल, अक्षित भावरेल सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रही।

भाजपा महिला मोर्चा मातृशक्ति का करेगी सम्मान

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा महिला दिवस के अवसर पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एंव राज्यसभा सांसद माया नरोलिया, भाजपा प्रदेश महामंत्री एंव महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष एंव कार्यक्रम प्रदेश प्रभारी ज्योति दुबे, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित के निर्देशानुसार महिला मोर्चा ज़िला अध्यक्ष निर्मला गुप्ता के नेतृत्व में 8 मार्च 2025 शनिवार को दोपहर 01 बजे जिला भाजपा कार्यालय मंदसौर पर महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव, नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता चावला सहित जनप्रतिनिधिगण एंव पदाधिकारीगणों की गरीमामय उपस्थिति में सम्पन्न होगा। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला गुप्ता ने जिले के भाजपा पदाधिकारीगण, महिला मोर्चा जिला पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्ष एवं कार्यसमिति सदस्य गण, समस्त जनप्रतिनिधि गण, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण सहित महिला कार्यकर्ता सादर आमंत्रित हैं।

सोमयज्ञ में बैठने हेतु श्रद्धालुओं में अपार उत्साह

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। सोम यज्ञ की तैयारी में जुटी विभिन्न टोलियां नगर भर में घर-घर संपर्क करते हुए इस बहुत ही देव दुर्लभ सोमयज्ञ के पुनीत आयोजन में सम्मिलित होने का अनुरोध कर रही हैं।

सोम यज्ञ समिति द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आगामी अप्रैल माह में 13 से 18 अप्रैल तक 6 दिनों तक काला खेत प्रांगण में प्रतिदिन चार पालियों में होने जा रहे सभी यज्ञों में श्रेष्ठ सोम यज्ञ में बैठने के लिए श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। मंदसौर नगर ही नहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और प्रदेश के अन्य नगरों जैसे उज्जैन महिदपुर आगर मालवा खाचरोद आदि से भी अनेक श्रद्धालुओं द्वारा सोमयज्ञ में सम्मिलित होने के प्रति अपनी स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय की पुष्टिमार्गीय पद्धति से पूज्य वैष्णवाचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पद्म

भूषण गोस्वामी डॉ.गोकुल उत्सव जी महाराज और सोम यज्ञ सम्राट वैष्णवाचार्य डॉ. व्रजोत्सव जी महाराज के सानिध्य में तेलंगाना के विद्वान आचार्य गणों के द्वारा यज्ञ विधि संपन्न कराई जाएगी।नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो टोलियां गठित की गई हैं उनके कार्यकर्ता लगातार संपर्क में लगे हुए हैं। खानपुरा और शहर क्षेत्र में सर्वश्री राजेश नामदेव पुष्पेंद्र भावसार नागेंद्र सिंह चौहान कमलेश सिसोदिया राजेश सोनी एरा वाला उमेश पारिख तथा नई आबादी क्षेत्र में राजेंद्र चाष्ट, सत्यनारायण छापरवाल,रमेश खत्री, रमेश काबरा प्रद्युम्न शर्मा, स्टेशन क्षेत्र में गौरव अग्रवाल बंसीलाल राठौड बंटी चौहान जनकपूरा क्षेत्र में मानसिंह माच्छोपुरिया, हेमंत भाई शाह, पं,अरुण शर्मा, नटवर भाई पारिख, जीतू पारिख उमेश पारेख, ब्रजेश जोशी आदि संपर्क में लगे हुए हैं। यह जानकारी जीतू पारिख ने दी है।

महिला दिवस पर समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं का होगा सम्मान

मंदसौर, 07 मार्च गुरु एक्सप्रेस। जिला परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री पीसी चौहान द्वारा बताया गया कि श्रीमती मोनिका संजय नीमा द्वारा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 'घर की पहचान लाडली' अभियान का संचालन किया गया है, जिसमें एडॉप्ट इन आंगनवाडी के तहत 150 से अधिक पौधों का रोपण और बच्चों के लिए खेल सामग्री का प्रदान किया गया है। इसके अलावा, श्रीमती तारामणि राजेश कॉसट द्वारा कुपोषित बच्चों के लिए पोषण किट का प्रदान किया गया है, जिसमें 345 बच्चों को पोटीन पाउडर प्रदान किए गए हैं। डॉ. अंजु योगेंद्र कोठारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बच्चों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें परामर्श, दवाइयां एवं कुपोषित बच्चों के लिए 100 पोटीन पाउडर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष लायंस क्लब मंदसौर द्वारा आंगनवाडी केंद्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढावा देने के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनवाडी केंद्रों में जरूरतमंद बच्चों को पठन, लेखन एवं सीजनल वस्त्रों का प्रदान किया गया है। श्रीमती ज्योति नव्हाल द्वारा स्वीप एवं एडॉप्ट इन आंगनवाडी के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। रानी टांक नियुद्ध गुरुकुल में 10 मीटर एयर पिस्टल का प्रशिक्षण प्राप्त कर जोनल एवं नेशनल पैरा शूटिंग पुणे आयोजित प्रतियोगिता में क्वालीफाई कर टीम इंडिया के ट्रायल तक अपना स्थान प्राप्त किया गया है। श्री निर्मला पति मोहन कलसिया द्वारा अंतेष्टिस्थल पर पिछले 15 वर्ष से नि:स्वार्थ रूप से नि:शुल्क सेवाएं निरंतर दी जा रही हैं, जिसमें कोविड काल में भी सेवाएं दी गई। डॉ. अलका अग्रवाल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 38 साल का अनुभव प्राप्त किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा शिक्षा में नवाचार के लिए एरिजोना अमेरिका भेजा गया था। इसके अलावा, बालिका शिक्षा एवं बालिका स्वाभिमान के लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें डाइट में रहते हुए 45 ड्रॉपआउट बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर कराया गया है। साठिया समुदाय के बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाया। वर्तमान में सेवा भारती मंदसौर इकाई की उपाध्यक्ष हैं। सक्षम संस्था जो कि दिव्यांग हितार्थ के लिए कार्यरत राष्ट्रीय स्तर की संस्था की जिला अध्यक्ष है। पर्यावरण के क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों में वृक्ष लगाना जहां उन्हें पो 500 वृक्ष लगाने का लक्ष्य। गरीब बालिकाओं की स्कूल फीस, चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, निवृत बालिकाओं की देखभाल कि। संध्या वैरागी-महिला ऑटो चालक, विद्या माली-महिला ऑटो चालक, दुर्गा-महिला ऑटो चालक आदि महिलाओं का महिला दिवस पर सम्मान किया जाएगा।

कम दाम
बढ़िया काम
अजन्ता
स्प्रे पेन्टिंग
मो.-7089832581

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक– आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 313880, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in